बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांकः 12/11/26

संख्याः1/सी0–1022/2023–सा0प्र0– 20813 /भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) के **बैच वर्ष, 2018** के निम्नांकित पदाधिकारियों को **दिनांक 01.01.2027 के प्रभाव से** कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान–लेवल–12–₹78,800–2,09,200/–) में प्रोन्नति प्रदान की जाती हैः–

क्र.	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन
1	श्री आशुतोष द्विवेदी	समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, कटिहार
2	श्रीमती प्रतिभा रानी	समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर
3	श्री वैभव श्रीवास्तव	समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा)
4	श्री विनोद दूहन	समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, अररिया
5	श्री अभिषेक रंजन	समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा
6	श्री शेखर आनन्द	समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा
7	श्रीमती अमृषा बैन्स	समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल
8	श्रीमती साहिला	समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर
9	श्री निखिल धनराज निप्पणीकर	समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर
10	श्री नितिन कुमार सिंह	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना

2. **उपर्युक्त भा0प्र0से0 पदाधिकारियों द्वारा अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण–III का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया गया है। फलस्वरुप, उक्त पदाधिकारियों को इस शर्त के साथ अपर सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गयी है कि आगामी सत्र में स्थान और अनुमति मिलने पर आलोच्य प्रशिक्षण अवश्य पूरा करेंगे ।**

3. **अधिसूचना की प्रभावी तिथि को विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत पदाधिकारी अपर सचिव के रूप में पदनामित होंगे।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12/11/26

(संजय कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

कु.पू.उ.

ज्ञापांक : 1/सी0–1022/2023–सा0प्र0– 20813 /पटना–15, दिनांकः 12/11/26

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन–3, कर्त्तव्य पथ, नई दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक,नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन–3, कर्त्तव्य पथ, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल के सचिव,बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई.टी. प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी.डी. के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–1 एवं 6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. **जिन पदाधिकारियों को सशर्त प्रोन्नति दी गयी है, वे सभी प्रशिक्षण पूर्णता का प्रमाण संबंधित प्राधिकारों को समय पर उपलब्ध करा देंगे।**

3. **अधिसूचना प्रभावी होने की तिथि को गैर–संवर्गीय पद (यथा–प्रबंध निदेशक, मिशन निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी) के धारक पदाधिकारी भा0प्र0से0(वेतन) नियमावली, 2016 के नियम–12(1) के तहत उनके पदस्थापनकाल तक के लिए अपर सचिव स्तर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित माने जाएंगे।**

4. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैंः–

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, <u>to be exercised within one month from the date of such appointment,</u> for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

12/11/26

सरकार के विशेष सचिव।